कोप-24 सम्मेलन : जलवायु परिवर्तन की समस्या पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक - अमिताभ सिन्हा (संपादक)

06 दिसंबर, 2018

''जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में निवेश की सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन जिन विकसित और विकासशील देशों द्वारा यह निवेश प्रदान किया जाता है, उन्हीं देशों के बीच आज इस सन्दर्भ में असहमति व्याप्त है।''

जलवायु वार्ता में कई विवादों का जिम्मेदार वित्त की समस्या रही है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी, जिसके तहत जलवायु वार्ताएं होती हैं, उसे एक समृद्ध और विकसित देशों के समूह की आवश्यकता है, जो अन्य चीजों के अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की यह समस्या पिछले 150 वर्षों में समृद्ध देशों द्वारा किये गये उत्सर्जन का ही परिणाम है।

कई वर्षों तक, यह विकसित देशों द्वारा जारी रखी गई लड़ाई ही इन देशों को निवेश उपलब्ध कराने के लिए मजबूर करता आया है। इसके बाद पेरिस में 2015 की जलवायु बैठक में काफी संघर्षों के बाद 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े पर सहमति दर्ज की गयी, जिसमें विकसित देश 2020 से हर साल विकासशील देशों को देने के लिए सहमत हुए। हांलाकि, पेरिस समझौते में इसका उल्लेख नहीं किया गया था , लेकिन बैठक में किए गए अन्य निर्णयों में यह एक हिस्से के रूप में शामिल जरूर था।

लेकिन लिखित प्रतिबद्धता ने लड़ाई को जारी रखा और विकासशील देशों को 2020 से कम से कम 100 बिलियन डॉलर की स्थिर आपूर्ति का आश्वासन देने से इनकार कर दिया। लड़ाई विभिन्न तरीकों से खेली जा रही है और यह केटोवाइस में चल रही बैठक में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है , जहां देश उन नियमों पर सहमत होने का प्रयास कर रहे हैं जो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को नियंत्रित करेंगे।

नियम पुस्तिका तैयार करने का मतलब है कि अलग-अलग देशों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों, और दिशानिर्देशों और संस्थानों के लिए उत्सर्जन को मापने, निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (जलवायु शब्दकोष में एमआरवी) के लिए सामान्य मानकों को उन देशों और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रसार को सुविधाजनक बनाना। इसका यह भी मतलब है कि जलवायु वित्त के प्रवाह को मापने और सत्यापित करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी लेखा तंत्र स्थापित करना है।

अब इन प्रक्रियाओं पर सहमति कैसे होगी, विशेष रूप से वित्त के मुद्दों पर, पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर, यह सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। हांलाकि, विकसित और विकासशील राष्ट्र पारदर्शिता के पर्याप्त स्तरों के गठन पर और वित्त प्रवाह के बारे में कितनी जानकारी अनिवार्य रूप से रिपोर्ट की जानी चाहिए, पर विचार कर रहे हैं।

देखा जाये तो पेरिस समझौते ने हर दो वर्षों में विकसित देशों पर विकासशील देशों को प्रदान किए जाने वाले पैसे पर परिणाम की जानकारी और गुणात्मक जानकारी के लिए संवाद करने की शक्ति प्रदान की है। यह अंततः वितरित किए गए पैसे पर हर दो साल पारदर्शी और सुसंगत सूचना प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

खराब ट्रैक रिकॉर्ड

देखा जाये तो विकसित वित्त देशों द्वारा उनके वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक ही रहा है। उन्हें अक्सर विकासशील देशों के डबल-काउंटिंग (किसी देश के वस्तुओं के मूल्य को एक से अधिक बार गिनने का दोषपूर्ण अभ्यास), दावों को बढ़ाने, जलवायु वित्त के रूप में मौजूदा सहायता वित्त को फिर से पैकेज करने और अनुकूलन गतिविधियों की आवश्यकताओं को अनदेखा करके आरोप लगाया गया है। विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु वित्त नया और अतिरिक्त होना चाहिए और पेरिस समझौते में उल्लिखित अनुकूलन प्रयासों के लिए भी प्रदान किया जाना चाहिए।

हांलाकि, विकसित देशों ने कई बार वित्त के बारे में आशावादी दावे किए हैं जो पहले ही शुरू हो चुके हैं। संगठन के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की एक रिपोर्ट ने 2015 में दावा किया था कि पिछले साल तक जलवायु वित्त में लगभग 62 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ था। जवाब में, भारत ने एक चर्चा पत्र पेश किया जिसमें कहा गया था कि एक और विश्वसनीय आंकड़ा सिर्फ 2.2 डॉलर बिलियन था।

एक और ओईसीडी रिपोर्ट, जो पिछले महीने ही आई थी, में कहा गया है कि सरकारी स्रोतों से विकसित देशों से विकासशील देशों में जाने वाले पैसे वर्ष 2013 में 37.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में 54.5 अरब डॉलर हो गए थे, जो पांच साल में 44% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, वित्त पर यूएनएफसीसीसी की स्थायी समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा है कि कुल जलवायु वित्त ,सरकारी स्रोतों से नहीं, वर्ष 2015 में 33 बिलियन डॉलर और 2016 में 38 बिलियन डॉलर था और साल-दर-साल की वृद्धि दर वास्तव में 2015 में 24% से घटकर 2016 में 14% हो गया था। लेकिन, रिपोर्ट में 2017 के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से वित्त का प्रवाह होता है। पेरिस समझौते से बाहर निकलने के लिए अमेरिका के फैसले के कारण भी 10 बिलियन डॉलर की शुरुआती पेशकश पूरी नहीं हो पाई है। भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में एक चर्चा पत्र में बताया गया है कि बहुपक्षीय जलवायु निधि के कुल प्रतिज्ञाओं में से केवल 12% वास्तव में वितरण में शामिल किए गए थे।

आनुपातिक दरों से बढ़ाएँ

आलम तो अब यह है कि वादा किए गए पैसे भी अब नहीं आ रहे हैं, विकासशील देश यह इंगित कर रहे हैं कि 100 अरब डॉलर की राशि जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त थी। आवश्यकताओं के किसी भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण के परिणामस्वरूप 100 अरब डॉलर का आंकड़ा नहीं पहुंचा था। यह तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की एक विज्ञापन घोषणा के रूप में आया था।

इसके बाद कई अनुमानों ने प्रति वर्ष ट्रिलियन डॉलर तक सैकड़ों अरबों डॉलर की सीमा में होने की आवश्यकताओं का आकलन किया है। हालिया भारतीय चर्चा पत्र में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय को प्रस्तुत अपनी जलवायु कार्य योजनाओं में उल्लिखित देशों की आवश्यकताओं को जोड़ना लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर था। भारतीय चर्चा पत्र में कहा गया है कि 100 बिलियन अमरीकी डालर का यह लक्ष्य लाखों डॉलर में विकासशील देशों के लिए निर्धारित वास्तविक जरूरतों के विपरीत आकार में थोड़ी मात्रा में है।

GS World टीम...

COP-24

सन्दर्भ

- हाल ही में पौलैंड के कैटोविस नगर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचे (UNFCCC) से सम्बंधित पक्षकारों का 24वाँ सम्मलेन (COP-24) सम्पन्न हुआ।
- इस सम्मलेन में एक भारतीय पैविलियन भी लगाया गया जिसके उद्घाटन में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सम्मिलित हुए।
- भारतीय पैविलियन की थीम थी – "एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड/"One World One Sun One Grid"।
- वैश्विक जलवायु से सम्बंधित कार्यकलाप के लिए भारत के नेतृत्व को विश्व सराहता है।
- इसी क्रम में इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी को "चैंपियन ऑफ दी अर्थ पुरस्कार" दिया था।
- यह पुरस्कार उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ को आगे बढ़ाने तथा भारत को 2022 तक प्लास्टिक-मुक्त करने के उनके संकल्प के लिए दिया गया था।

COP क्या है?

- COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचे (UNFCCC) से सम्बंधित पक्षकारों के सम्मेलन को कहते हैं।
- यह संस्था UNFCCC के प्रावधानों के कार्यान्वयन और उसकी समीक्षा सुनिश्चित करता है।

UNFCCC क्या है?

- UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विषयक संधि है जो 21 मार्च, 1994 से लागू है। अब इसमें विश्व के लगभग सभी देश सदस्य बन चुके हैं।
- दिसम्बर, 2015 तक इसमें 197 सदस्य हो गये थे।
- इस संधि का उद्देश्य जलवायु प्रणाली में मानव के खतरनाक हस्तक्षेप को रोकना है।

संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. हरित जलवायु कोष काप (COP)-17 सम्मेलन के दौरान डरबन में बनाया गया।
   2. आइएनडीसी पेरिस पैक्ट द्वारा प्रत्येक देश के लिए समान रूप से लागू हुआ।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

मुख्य परीक्षा

2. पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग न करने की नीति अपनायी जा रही है। इससे विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 05 दिसंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।